सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रॉक– /डीटीईयू(सेवा0)/ई–1/स्थाना0/2024
दिनॉक– 10 जून 2024

कार्यालय–आदेश

एतद्‌द्वारा उत्तराखण्ड लोक–सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेगें। स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही विचारणीय होगा। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून–2024 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र0स0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री पवन कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून।	उप प्रमुख, यू0ई0बी0,नैनीताल।	जनहित में

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठाकंन– 1844-52 /डीटीईयू(सेवा0)/ई–1/स्थाना0/2024 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सम्बंधित क्षेत्र।
5. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा।
6. सम्बंधित सेवायोजन अधिकारी।
7. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड पत्रावली निदेशालय (सेवा0)।

(संजय कुमार)
निदेशक, सेवायोजन